न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 196/2016 दायरा दिनांक : 22.04.2016

उनवान

1– संतोष कुमार पुत्र श्री राधाकिशन, जाति ब्राहमण, निवासी केलवाडा, तहसील शाहबाद, जिला बारां

2– मनीष कुमार पुत्र श्री राधाकिशन, जाति ब्राहमण, निवासी केलवाडा, तहसील शाहबाद, जिला बारां

3– सोनू पुत्र श्री संतोष कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी केलवाडा, तहसील शाहबाद, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

दाखां बाई उम्र 45 वर्ष पत्नी श्री खैरालाल, जाति जाटव, निवासी केलवाडा, तहसील शाहबाद, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बाबू लाल जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 04.12.2017

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद के प्रकरण संख्या – 02/2016 निर्णय दिनांक 22.02.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट ने अपीलांटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम केलवाडा तहसील शाहबाद में आराजी खसरा नम्बर 296/824 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा आराजी स्थित है । यह आराजी प्रार्थिया के कब्जे काश्त की है । अप्रार्थीगण जबरन ताकत के बल पर प्रार्थिया को बेदखल करने पर आमादा है । जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये कि प्रार्थिया के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में हस्तक्षेन न करें । अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त कर दिनांक 22.02.2016 को प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

3 अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अपीलांटगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में यह कथन किया था कि रेस्पोडेंट की भूमि जो उसके खाते में है उसका नक्शट्रेस में कोई वजूद नहीं है । अपीलांट के द्वारा जो नक्शाट्रेस पेश किया गया है उसमें खसरा नम्बर 296 नहर का नम्बर है जो रेस्पोडेंट के खाते में दर्ज नहीं हो सकता है । नहर के दक्षिण की ओर से खसरा नम्बर 287 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 288 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नमबर 286 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा आराजी जो अपीलांट के खाते में है जिसका रेस्पोडेंट से कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांट के पक्ष में है न कि रेस्पोडेंट के पक्ष में । खसरा नम्बर 296 गैर मुमकिन नाला/नहर

है जो कि किसी तरह से नियमन नहीं हो सकती है । रेस्पोडेंट के खाते में यदि खसरा नम्बर 296/824 की आराजी दर्ज है तो वह निरस्त होने योग्य है । खसरा नम्बर 296 के आस पास कोई रोड नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उसको रोड के करीब माना है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलांअगण के पक्ष में खसरा नम्बर 286, 287, 288 और 284 के बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाये ।

4 अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंटगण की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

5 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की हे जबकि नक्शे में यह नम्बर नहीं हे ।नक्शे में खसरा नम्बर 296 है जो गैर मुमकिन नाला है और इससे लगी हुई हमारी जमीन है । अधीनस्थ नयायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

6 हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर फोटो प्रति नकल जमाबंदी सम्वत 2020–39 सलंग्न है जिसमें खसरा नम्बर 296 की आराजी रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा सिवाय चक दर्ज है । नामान्तकरण संख्या 212 की फोटो प्रति के अनुसार खसरा नम्बर 296 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा गैर मुमकिन नाला है और इसमें से 1 बीघा 5 बिस्वा आराजी भदई पुत्र लाल चन्द कोली को नियमन किया जाकर गैर खातेदारी दर्ज होना

अंकित है । फोटो प्रति नकल जमाबंदी सम्वत 2071–74 के अनुसार खसरा नम्बर 296 का 17 बिस्वा रकबा नदियां, नाले तथा बीहड के रूप में दर्ज है । नकल जमाबंदी सम्वत 2071–74 के अनुसार खसरा नम्बर 296/824 की 1 बीघा 5 बिस्वा आराजी दाखां बाई पत्नी खैरा लाल की खातेदारी में दर्ज है और फोटो प्रति नकल जमाबंदी सम्वत 2071–74 के अनुसार खसरा नम्बर 284, 286, 287 तीन किता की 8 बीघा 11 बिस्वा आराजी अपीलांटगण के खाते में दर्ज है । अपीलांटगण के खाते की आराजी की कुछ खसरा गिरदावरी भी सलंग्न की गई है । पत्रावली पर नक्शे की फोटो प्रति भी सलंग्न की गई है इस नक्शे के मुताबिक खसरा नम्बर 296 के बटा नम्बर दर्ज नहीं है ।

7 अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण के द्वारा जो जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उसमें यह कथन किया है कि खसरा नम्बर 296 की आराजी रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन नाला जमाबदी में दर्ज है और नाले की आराजी पर किसी को खातेदारी नहीं दी जा सकती । गलत रूप से इस आराजी में से 1 बीघा 5 बिस्वा आराजी भदई कोली को आवंटित की गई है जिसे क्रय कर गलत रूप से प्रार्थिया ने अपना नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाया है ।

8 पत्रावली पर उपलब्ल दस्तावेजों का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि खसरा नम्बर 296 की आराजी गैर मुमकिन नाला थी, जिसका रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा था इसमें से 1 बीघा 5 बिस्वा आराजी का आवंटन भदई कोली को किया जाकर उनकी गैर खातेदारी में दर्ज की गई थी और खसरा नम्बर 296 रकबा 17 बिस्वा आराजी नदियो, नाले के रूप में रेकार्ड में दर्ज है । 17 बिस्वा और 1 बीघा 5 बिस्वा कुल 2 बीघा 2 बिस्वा आराजी ही होती है जो पूर्व में गैर मुमकिन नाले के रूप में दर्ज रेकार्ड था । नक्शे की प्रति भी जो पेश

की गई है उसमें खसरा नम्बर 296 में कोई तरमीम अंकित नहीं है और न ही बटा नम्बर अंकित किया गया है । इससे यही प्रतीत होता है कि प्रार्थिया के खाते में दर्ज जो आराजी है उसका नक्शे में तरमीम नहीं की गई है और यहां यह भी विचारणीय है कि गैर मुमकिन नाला किस प्रकार आवंटित किया जाकर भदई पुत्र लाल चन्द की गैर खातेदारी में दर्ज किया गया और किस प्रकार इसका बटा नम्बर अंकित किया जाकर 1 बीघा 5 बिस्वा आराजी प्रार्थिया के खाते में दर्ज की गई है । प्रकरण में इन तथ्यों की जांच के उपरान्त ही विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना अपेक्षित है ।

9 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पैरा संख्या 8 में किये गये विवेचन के अनुसार तहसील से विस्तृत जांच रिपोर्ट प्राप्त कर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.01.2018 को उपस्थित होवें ।

10 निर्णय आज दिनांक 04.12.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा